

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

निर्णय नम्बर 254/18 तारीख रज. 19.2.18 रिपोर्ट पटवारी हल्का कालापुर बनाम
 श्री सतीश पुत्र गुरमेल जाति मीना निवासी कलीन तहसील
महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 27.2.18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे सम्क्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री सतीश ने ग्राम कलीन को भूमि ख.न. 331 रकबा 0.15 किस्म करागाह फसल रबि / खरीफ संवत 20 24 में सरफ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 331 रकबा 0.15 किस्म करागाह वाके ग्राम कलीन से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 6.60 रु 50 गुणा 330= शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल सरफ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

तहसीलदार महवा (दौसा)
 तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्ट्रार महवा के पेश 27 पर
 वर्ष 2017-18
 की राशि 330 रु
 की जमा 330 रु
 दिनांक 5/3/18

Bshau
 लेखाकार
 तहसील-महवा